



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 71-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 मई, 2020 (5 ज्येष्ठा, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2) (केवल हिन्दी में)	91-92
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2020

संख्या लैज. 2/2020.— दि हरियाणा ग्रुप डी इम्प्लॉइज़ (रिक्रूटमेंट एण्ड कॅन्डिडेशनज़ आफ सर्विस) ॲमेन्डमेंट ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2**हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2020****हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018,****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2020, संक्षिप्त नाम। कहा जा सकता है।
2. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 1 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-
 “(3) यह 28 मार्च, 2018 को या के पश्चात् किसी ग्रुप घ के पद पर नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों को लागू होगा।”।
 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 1 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—
 ‘(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 ‘(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्राय है,—
 (i) सेवा, जिसका सरकारी कर्मचारी तत्समय सदस्य है, में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी; या
 (ii) पद, जो सरकारी कर्मचारी तत्समय धारण करता है पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;
 (iii) प्राधिकारी जिसने सरकारी कर्मचारी को ऐसी सेवा, वेतन ढांचे या पद, जैसी भी स्थिति हो, पर नियुक्त किया है;
 (iv) जहां सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रहा है या कोई अन्य पद धारण करता है, सरकार के लगातार नियोजन में रहा है, तो प्राधिकारी जिसने उसे उस सेवा में या उस पद पर नियुक्त किया है, जो भी उच्चतम प्राधिकारी है;”
 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संशोधन।
 (ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 ‘(ख) “नियुक्ति” से अभिप्राय है, इस अधिनियम या ऐसी नियुक्ति के समय पर लागू अनुकम्पा नियुक्ति के लिए किन्हीं नियमों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति, जो प्रथम बार ऐसी सेवा के संवर्ग में किसी पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है या उसकी विहित परिवीक्षा, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रारम्भ होता है ;
 (iii) खण्ड (ढ) के साथ पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 ‘(ढ) “सेवा” से अभिप्राय है, राज्य में ग्रुप घ पदों का कोई सामान्य संवर्ग;’।

- 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 12 का लोप।
4. मूल अधिनियम की धारा 12 का लोप कर दिया जाएगा।
- 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 15 का संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—
- (i) विद्यमान प्रथम परन्तुक के बाद “:” चिह्न के स्थान पर, “|” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
- (ii) द्वितीय परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।
- 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की कतिपय धाराओं का लोप।
6. मूल अधिनियम की धारा 16,17,18,19 तथा 20 का लोप कर दिया जाएगा।

.....

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।